# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—47 / 2022 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 4—ई—8—जवाहरनगर, प्रथम तल मीरा चौक रोड़ श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार।

——प्रार्थी

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र श्री केसराराम निवासी वार्ड नं. 01, फरीदसर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन—335804।

—— ऋणी

2. कृष्ण लाल पुत्र श्री निरानाराम निवासी वार्ड नं. 04 चक 1 एल.एल.जी.डब्ल्यू. डबलीवास कुटुब, 32 एस.एस.डब्ल्यू. हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़—335801।

——(सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

**आदेश** दिनांकः—28.06.2023

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू. फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) की ओर श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. पूर्व में एयु फाईनेसर्स (इण्डिया) लि. के नाम से नॉन बैंकिग कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध थी जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर था जिसका नाम एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. कर दिया गया एवं इसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के जयपुर कार्यालय से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं. एमयुएम 126 प्रदत किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 934 के धारा 42 की उपधारा 6 के खण्ड 'क' के अनुसारण में अधिनियम की दूसरी अनुसूचि में सम्मिलित करने की अधिसूचना दिनांक 18.9.2017 को जारी की गई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि0 जिसके द्वारा विपक्षीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। वर्तमान में एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है। प्रार्थी बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। श्री मनोज कुमार प्रार्थी बैंक की शाखा कार्यालय 4—ई—8—जवाहरनगर, प्रथम तल मीरा चौक रोड़ श्रीगंगानगर में पोर्टफोलियो मैनेजर के पद पर कार्यरत है जो कि प्रार्थी बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी है। इनको प्रार्थी बैंक की ओर से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने एवं प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.09.2019 को 'एग्रीमेन्ट फॉर लोन एण्ड गारण्टी' के तहत राशि 3,10,000 / —रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति वाके—पट्टा नं. 138 वार्ड नं. 15 डबली

Web Copy - Not Official

राठान चक 1 एल.जी.डब्ल्यू. हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ साईज 3264 सक्वायर फुट है जो कृष्णलाल के नाम से है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 13.01.2022 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता को एन. पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के खाता में बकाया राशि 2,65,575/–रूपये (अखरे दो लाख पैंसठ हजार पांच सौ पिचहतर रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 17.01.2022 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17.01.2022 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति वाके–पट्टा नं. 138 वार्ड नं. 15 डबली राठान चक 1 एल.जी.डब्ल्यू. हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ साईज 3264 सक्वायर फुट है जो कृष्णलाल के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़